17/3/24	पत्रावली पेश हुई। उ0 पत्र स्थापित किया जाता है कि तहसील निर्वाचन प्रकोष्ठ में लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली कैंसल सूचना होना लेखा है कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश उचित जाय [signature]

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0–82/25 तारीख रजु 18.9.25

1. पदम माली आयु 56 साल
2. संजय माली आयु 39 साल
3. पप्पू माली आयु 38 साल
4. मु0 किरण माली आयु 71 साल पत्नि स्व0 बृजमोहन जातियान माली निवासीयान दुर्गासीघटा बरखेडा तहसील व जिला करौली

––सायलान

बनाम

लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः– 17/3/26

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान की पुश्तैनी खाते व कब्जे की आराजी खसरा नंबर 728/4 रकबा 1.1128 है0 यानि 4 बीघा 8 बिस्वा वांके ग्राम बरखेड तहसील करौली में स्थित है। जो सायल नंबर 1 ता 3 के पितामह व सायल नंबर 4 के ससुर भौरू को दिनांक 21.12.1971 को आवंटित हुई। मौके आवंटन अनुसार भौरू को दिनांक 19.01.72 को मुताबिक नक्शा ट्रेस कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वक्त आवंटन भूमि बहुत उबड–खाबड थी जिसे उसी वक्त पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल द्वारा भूमि का नाप कर भौरू को सुपुर्द कर दिया है। कब्जे व नक्शे में आवंटित भूमि की नक्शा में तरमीम कर दी गई और सायलान आवंटन शुदा भूमि पर आवंटन के समय से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थना–पत्र साथ नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, कब्जा रिपोर्ट दिनांक 19.01.1972 प्रस्तुत की है। भौरू द्वारा व बृजमोहन ने अपनी जिस्मानी मेहनत से लाखों रूपये की लागत लगाकर काबिज काश्त बनाया और भूमि पर काश्त कर अपना व परिवार का भरण–पोषण प्रारंभ कर दिया। उक्त भूमि सायलान के जीवन का आधार है व इस जमीन के अलावा अन्य कोई जरिया सायलान के जीवन यापन का नहीं है। सायलान भूमि के खातेदारान है। सेग्रीगेशन के नाम पर अवैध व अनाधिकार रूप से सायलान की भूमि की तरमीम को राजस्व कर्मियों द्वारा लट्ठा शीट व ऑनलाईन नक्शे में बदल दिया है। जिसे प्रार्थीयान निरस्त कराकर मुताबिक आवंटन आदेश तरमीम को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। दिनांक 28.06.25 को सायलान ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार, करौली को सीमाज्ञान आवेदन पेश किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट कराने व नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न करने का निर्देश दिये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

सायलान द्वारा पटवारी हल्का से प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पर रिपोर्ट करने व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने गये तब पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस देकर सायलान को बताया की मुताबिक जमाबंदी रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा नक्शे में नहीं है। सायलान मौके पर पटवारी हल्का को लेकर गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि मौके पर जमीन का रकबा पूरा 4 बीघा 8 बिस्वा है परन्तु नक्शे में सेग्रीगेशन के समय गलती हो जाने नक्शा छोटा बन गया है। नक्शा ट्रेस में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के आस पास का इन्द्राज है। आप इसी नक्शे के इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करे तभी तुम्हारी जमीन का सटीक सीमाज्ञान हो सकेगा। पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर प्रार्थीयान को नक्शे में रकबा कम होने की जानकारी हुई है। जानकारी होने पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 16.07.25 को प्राप्त करने पर यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीयान अपनी आराजी की तरमीम नक्शा में रकबा अनुसार दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी जरिये पत्र क्रमांक एलआर/2026/810 दिनांक 04.03.2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीयान ने अपनी खातेदारी भूमि का तरमीम शुद्धि का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। सेग्रीगेशन में कैडस्ट्रल शीट के अनुसार खसरा नंबर 728/4 का रकबा जमाबंदी के रकबा के बराबर नहीं है। उक्त खसरा नंबर मे वर्तमान में मौके पर खातेदारान का लगभग 0.3414 है0 पर कब्जा है तथा शेष 0.2701 है0 पर मोहरसिंह पुत्र किशोरी जाति माली का लगभग आधा पक्का मकान व गेंहू की फसल तथा रमेश पुत्र चरण माली की पाटौर पोश व रामदयाल पुत्र परसादी जाति माली का कुछ मकान का हिस्सा पर कब्जा है। खसरा नंबर 728 में काफी आवंटन है। यदि उक्त खसरा नंबर 728/4 की तरमीम दुरूस्त की जाती है तो खसरा नंबर 728 मे हो रही सभी तरमीमों को दुरूस्त करनी पडती है तथा आस पास के खसरा नंबर 728 के आवंटन प्रभावित होगे।

बहस वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि सायलान की पुश्तैनी खाते व कब्जे की आराजी खसरा नंबर 728/4 रकबा 1.1128 है0 यानि 4 बीघा 8 बिस्वा वांके ग्राम बरखेड तहसील करौली मे स्थित है। जो सायल नंबर 1 ता 3 के पितामह व सायल नंबर 4 के ससुर भौरू को दिनांक 21.12.1971 को आवंटित हुई। मौके आवंटन अनुसार भौरू को दिनांक 19.01.72 को मुताबिक नक्शा ट्रेस कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त आवंटन भूमि बहुत उबड–खाबड थी जिसे उसी वक्त पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल द्वारा भूमि का नाप कर भौरू को सुपुर्द कर दिया है। कब्जे व नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मे आवंटित भूमि की नक्शा में तरमीम कर दी गई और सायलान आवंटन शुदा भूमि पर आवंटन के समय से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र साथ नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, कब्जा रिपोर्ट दिनांक 19.01.1972 प्रस्तुत की है। गौरु द्वारा व बृजमोहन ने अपनी जिस्मानी मेहनत से लाखो रूपये की लागत लगाकर काबिज काश्त बनाया और भूमि पर काश्त कर अपना व परिवार का भरण पोषण प्रारंभ कर दिया। उक्त भूमि सायलान के जीवन का आधार है व इस जमीन के अलावा अन्य कोई जरिया सायलान के जीवन यापन का नही है। सायलान भूमि के खातेदारान है। सेग्रीगेशन के नाम पर अवैध व अनाधिकार रूप से सायलान की भूमि की तरमीम को राजस्व कर्मियों द्वारा लट्ठा शीट व ऑनलाईन नक्शे मे बदल दिया है। जिसे प्रार्थीयान निरस्त कराकर मुताबिक आवंटन आदेश तरमीम को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। दिनांक 28.06.25 को सायलान ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार, करौली को सीमाज्ञान आवेदन पेश किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट कराने व नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न करने का निर्देश दिये जाने पर सायलान द्वारा पटवारी हल्का से प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पर रिपोर्ट कराने व नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने गये तब पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस देकर सायलान को बताया की मुताबिक जमाबंदी रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा नक्शे में नही है। सायलान मौके पर पटवारी हल्का को लेकर गये तो पटवारी हल्का ने बताय कि मौके पर जमीन का रकबा पूरा 4 बीघा 8 बिस्वा है परन्तु नक्शे में सेग्रीगेशन के समय गलती हो जाने नक्शा छोटा बन गया है। नक्शा ट्रेस में रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के आस–पास का इन्द्राज है। आप इसे नक्शे के इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करे तभी तुम्हारी जमीन का सटीक सीमाज्ञान हो सकेगा। पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर प्रार्थीयान को नक्शे में रकबा कम होने की जानकारी हुई है। जानकारी होने पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 16.07.25 को प्राप्त करने पर यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीयान अपनी आराजी की तरमीम नक्शा में रकबा अनुसार दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

पैरोकार का बहस में कथन है कि प्रार्थीयान ने अपनी खातेदारी भूमि का तरमीम शुद्धि का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। सेग्रीगेशन में कैडस्ट्रल शीट के अनुसार खसरा नंबर 728/4 का रकबा जमाबंदी के रकबा के बराबर नहीं है। उक्त खसरा नंबर में वर्तमान में मौके पर खातेदारान का लगभग 0.3414 है0 पर कब्जा है तथा शेष 0.2701 है0 पर मोहरसिंह पुत्र किशोरी जाति माली का लगभग आधा पक्का मकान व गेंहू की फसल तथा रमेश पुत्र चरण माली की पाटौर पोश व रामदयाल पुत्र परसादी जाति माली का कुछ मकान का हिस्सा पर कब्जा है। खसरा नंबर 728 में काफी आवंटन है। यदि उक्त खसरा नंबर 728/4 की तरमीम दुरूस्त की जाती है तो खसरा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नंबर 728 में हो रही सभी तरमीमों को दुरूस्त करनी पडती है तथा आस पास के खसरा नंबर 728 के आवंटन प्रभावित होगे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट का एवं तहसीलदार, करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 4.03.2026 में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार, करौली का विवेचन किया गया। प्रार्थीयान द्वारा खसरा नंबर 728/4 के चारों और स्थित खसरा नंबर 728 के मिन नंबरों के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि खसरा नंबर 728/4 की तरमीम दुरूस्त की जाती है तो खसरा नंबर 728 के सभी मिन नंबर प्रभावित होगे एवं खसरा नंबर 728 में मोहरसिंह एवं रमेश व रामदयाल के मकान व कब्जा होना रिपोर्ट में बताया गया है। उन्हें भी प्रार्थीयान ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान पक्षकारों के कुसंयोजन होने से चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

2/11

(प्रेमराज मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

करौली (राज.)